



भारत सरकार | Government of India  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | Ministry of Commerce & Industry  
पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) | Petroleum & Explosives Safety Organisation (PESO)  
पूर्व नाम- विस्फोटक विभाग | Formerly- Department of Explosives  
केन्द्रीय भवन, ब्लॉक सी-2, तीसरी मंजिल | Kendriya Bhavan, Block C-2, 3rd Floor  
CSEZ पी.ओ. कक्कनाड कोच्ची | CSEZ PO Kakkanad Dist. Ernakulam Ernakulam 682037  
फोन (Phone):- 2427286 | फैक्स (Fax):- 2427276  
ई-मेल Email: dyccceernakulam@explosives.gov.in

7 MAR 2021

संख्या (No.): E/SE/KL/30/282(E60756)

दिनांक (Date): 29/03/2021

सेवा में | To,

Shri Sebastian George,  
Thoppukalayil, Kolichal P.O., Kasargode, Town/Village - 47  
District-KASARAGOD, State-Kerala, Pincode -

विषय: विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत प्ररूप LE-10 में जारी Shot Firer's Certificate संख्या E/SE/KL/30/282(E60756) के नवीनीकरण संदर्भ में।  
Subject: Shot Firer's Certificate Certificate No.: E/SE/KL/30/282(E60756) granted in Form LE-10 of Explosives Rules, 2008 - Renewal regarding.

महोदय | Sir,

आपका उपर्युक्त विषय पर पत्र संख्या Nil दिनांक 22/02/2021 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रमाणपत्र 31/3/2026 तक पुनः सत्यापित कर इस पत्र के साथ भेजी जा रही है।  
Reference to your letter No.: Nil dated: 22/02/2021, the subject certificate duly revalidated upto 31/3/2026 and issued in Form LE-10 of Explosives Rules, 2008 is forwarded herewith.

### Conditions:

1) Blasting work in connection with well Sinking/Road Construction/Agricultural work etc.

प्रमाणपत्र के पुनः सत्यापित करने हेतु कृपया निम्नलिखित दस्तावेज दिनांक 31/3/2026 से पहले इस कार्यालय को भेजे जाएं।

For further revalidation of certificate, please submit the following documents so as to reach this office on or before 31/3/2026.

- प्ररूप आरई-1 में विधिवत पूर्ण एवं हस्ताक्षरित आवेदन।  
Application in Form RE-1 duly filled in and signed.
- के लिए प्ररूप LE-10 में जारी मूल अनुज्ञप्ति  
Original Shot Firer's Certificate in Form LE-10.
- संवीक्षा शुल्क रु. 400 का, विस्फोटक नियम, 2008 के तहत ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ई-भुगतान सुविधा के माध्यम से लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है।  
Scrutiny fee Rs. 400/- To be submitted online through e-payment facility available on online application portal under the Explosives Rules, 2008.
- अधिभोगी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो की छः प्रतियां (विस्फोटक नियम 2008 की नियम 2(37) के अंतर्गत यथा परिभाषित) सामने काले रंग की अमिट स्याही (यदि प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो)।  
Six copies of colour passport size photographs duly signed by the occupier (as defined under Rule 2 (37) of Explosives Rules, 2008) 'in front' by 'black color indelible ink'.
- पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से एक शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र  
A physical fitness certificate from Registered medical practitioner.
- वर्तमान नियोक्ता तथा प्ररूप एल ई. 3 के अनुज्ञप्ति धारक से प्रमाणपत्र धारक की सेवाओं का लाभ लेने संबंधी एक सहमति पत्र।  
A consent letter from the present employer holding Licence in Form LE-3 and intending to hire the services of Certificate holder.
- अनुज्ञप्ति धारक को पुनर्विध प्राधिकरण के सामने खुद को पेश करना होगा।  
The Shot Firer's Certificate holder has to present himself physically before reviewing/revalidating Authority.
- विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधान के उल्लंघन या कर्तव्य की उपेक्षा जिससे मानव जीवन का नुकसान हो, की दश में इस प्रमाणपत्र को रद्द / वापस ले लिया जाएगा।  
This Certificate is liable to be cancelled/withdrawn on contravention of provision of Explosive Rules, 2008 or dereliction of duty during working leading to loss of human life.

भवदीय | Your's faithfully

(आर.वेणुगोपाल | Dr. R.Venugopal)

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | Deputy Chief Controller of Explosives

उप मुख्य वि कोच्ची, Ernakulam का  
Deputy Chief Controller of Explosives

प्रतिलिपि प्रेषित | Copy Forwarded to:

1. Police Station, Rajapuram, KASARAGOD, Kerala with reference to his Noc No: 13./D3/PCC/KSD/2021 Dated: 03/02/2021

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | Deputy Chief Controller of Explosives  
कोच्ची | Ernakulam


(अधिक जानकारी जैसे आवेदन की स्थिति, शुल्क आदि के लिए हमारा वेबसाइट <http://peso.gov.in> देखें।)  
(For more information regarding status, fees and other details please visit our website <http://peso.gov.in>)

**Note :- This is system generated document does not require physical signature. Applicant may take printout for their records.**



अनुज्ञप्ति प्ररूप एल.ई. - 10 | Form LE-10  
शॉर्ट फायर कर्ता प्रमाण-पत्र | Shot Firer's Certificate  
(अनुसूची IV के भाग 1 का अनुच्छेद 10 देखें | See article 10 of Part 1 of Schedule IV)  
[विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 107(5) देखें | see rule 107(5) of Explosives Rules, 2008]

(खान अधिनियम, 1952 के अधीन न आने वाले क्षेत्र में विस्फोट करने के लिए सक्षमता प्रमाणपत्र )  
(Certificate of competency to carry out blasting of explosives in area not coming under the  
Mines Act, 1952)



संख्या | No.: E/SE/KL/30/282(E60756)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री Shri Sebastian George,  
जिनका जन्म. 26/05/1964 को हुआ था, जो Thoppukalayil ,Kolichal P.O., Kasargode, KASARAGOD, Kerala - 671532  
के निवासी है ने ,कोच्ची द्वारा तारीख को आयोजित शॉर्ट फायर की परीक्षा तारीख को उत्तीर्ण कर ली है और वह विस्फोटक  
अधिनियम, 1884 और उसके अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए खान अधिनियम, 1952 की परिधि के अधीन  
आनेवाले खानों से अन्यथा क्षेत्र में नीचे यथा उल्लिखित विस्फोटकों का उपयोग करते हुए विस्फोट प्रचालन करने के लिए प्राधिकृत है  
।

This is to certify that Shri Sebastian George,  
born on 26/05/1964 ,resident of Thoppukalayil ,Kolichal P.O., Kasargode, KASARAGOD, Kerala - 671532 passed  
the shotfirer's examination held on conducted by Ernakulam and is authorised to conduct blasting operations as  
mentioned below using explosives in areas other than mines coming under the purview of the Mines Act 1952, subject to  
the provisions of the Explosives Act, 1884 and the rules framed thereunder.

विस्फोट करने के प्राधिकृत वर्ग, प्रवर्ग और प्रकार :  
वर्ग: (ख), श्रेणी: सामान्य जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर ब्लास्टिंग आपरेशन

Authorised class, category and type of blasting :  
Class : (B), Category : General aboveground, All phases of aboveground blasting operation

[ नियम 107 का उप-नियम (5) का स्पष्टीकरण देखें | See explanation of sub-rule (5) of rule 107]

**यह प्रमाणपत्र 31/03/2016 (जारी करने की तारीख से पांच वर्ष तक विधिमान्य होगा |**  
**This certificate shall remain valid till 31/03/2016 (five years from the date of issue)**

यह प्रमाण-पत्र, अधिनियम या उसके अधीन विरचित नियमों अथवा इस प्रमाण-पत्र की शर्तों का कोई अधिक्रमण करने पर या  
यदि आवेदक द्वारा आवेदन प्ररूप में दी गई सूचना में कोई फर्क या विचलन होता है तो निलम्बित या अभिखंडित कर दिया जाएगा ।

This certificate is liable to be suspended or revoked for any violation of the Act or rules framed thereunder or the  
conditions of this certificate or if there is any discrepancy or deviation in the information or suppression of facts  
furnished by the applicant in his application form.

Sd/-

स्थान | Place : एरणाकुलम | Ernakulam  
दिनांक | Date: 31/03/2011

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक | Dy. Chief Controller of Explosives  
एरणाकुलम | Ernakulam

पुनर्वाधेमान्यनकरण के लिए पृष्ठांकन  
Endorsement for revalidation

पुनर्विधिमान्यनकरण की  
तारीख

समाप्ति की तिथि  
Date of Expiry

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर  
Signature of licensing authority



## शर्तें | CONDITIONS

संख्या | No.: E/SE/KL/30/282(E60756)

1. यह परमिट/परमिट धारक को ब्लास्टिंग करने के लिए तब तक अधिकृत करता है जब तक कि वह विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत फॉर्म एलई-3 में वैध अनुज्ञप्ति धारक (अनुज्ञप्ति संख्या : E/SC/KL/22/361(E11857) ), Shri SEBASTIAN GEORGE के नोकरी/अनुबंध के अधिन काम कर रहा है ।  
This permit authorizes the permit holder to conduct blasting so long as he is working under the employment/contract of Shri SEBASTIAN GEORGE holding valid licence (Licence No. E/SC/KL/22/361(E11857) ) in Form LE-3 of Explosives Rules, 2008.
2. विस्फोटक सामग्री प्राप्त करने, उसके स्वामित्व परिवहन भंडारण, उठाई धराई और उपयोग करने के लिए सभी स्थानीय विधियों और विनियमों का अनुसरण किया जाएगा ।  
All local laws and regulations applicable for obtaining, owning, transporting, storing, handling and using explosive materials shall be followed.
3. विस्फोटक सामग्री को अप्राधिकृत कब्जे से संरक्षित किया जाएगा तथा उसे परित्यक्त नहीं किया जाएगा ।  
Explosive materials shall be protected from unauthorised possession and shall not be abandoned.
4. विस्फोटक सामग्री का उपयोग केवल ऐसे अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो उसमें अंतर्ग्रस्त परिसंकट को जानते हों और जिनके पास अपेक्षित अनुज्ञापत्र हों ।  
Explosive materials shall be used only by experienced persons who are familiar with the hazards involved and who hold all required permits.
5. लदाई और फायरिंग या उसका पर्यवेक्षण केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके पास समुचित शाट फायरकरता प्रमाणपत्र और विस्फोट के लिए अनुज्ञापत्र हों ।  
Loading and firing shall be performed or supervised only by a person possessing an appropriate shot firer certificate and permit to blast.
6. प्रशिक्षार्थी सहायक और अन्य व्यक्ति, जिनके पास अपेक्षित शाट फायरकर्ता प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र नहीं है, केवल ऐसे अनुज्ञापत्र धारण करने वाले व्यक्तियों के पर्यवेक्षण के अधीन काम करेंगे ।  
Trainees helpers and other persons who do not hold the required shot firer certificate or permits shall work only under the supervision of persons holding such permits.
7. ऐसे स्थान पर कोई विस्फोटक सामग्री अवस्थित या भंडारित नहीं की जाएगी जहां अत्यधिक गर्मी या उसके प्रभाव से उनका विस्फोट हो सकता है ।  
No explosive materials shall be located or stored where they may be exposed to flame excessive heat sparks or impact.
8. ऐसे स्थान के 15 मीटर के भीतर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां विस्फोटकों को जमा किया गया है या उनका उपयोग किया गया है ।  
No smoking shall be permitted within 15 metre of any location where explosive are being handled or used.
9. कोई व्यक्ति ऐसे स्थान के 15 मीटर के भीतर कोई माचिस, बिजली या अन्य प्रकार की अग्नि या ज्वाला नहीं जलाएगा, जहां विस्फोटकों को जमा किए गए हैं या उनका उपयोग किया जा रहा है । तथापि इस अपेक्षा से सुरक्षित फ्यूज जलाने के लिए उपयुक्त युक्तियों को छूट प्राप्त होगी ।  
No person within 15 metres of any location where explosive are being handled or used shall carry any matches open light or other fire or flame. However, suitable devices for lighting safety fuse are exempted from this requirement.
10. मादक, शराब, स्वापक या अन्य खतरनाक औषधियों से प्रभावित किसी व्यक्ति को विस्फोटक सामग्री के उपयोग की अनुज्ञा नहीं होगी ।  
No person under the influence of intoxicating liquors narcotics or other dangerous drugs shall be allowed to handle explosive materials.
11. भंडारण मैगजीन और विस्फोट स्थान के बीच परिवहन के दौरान विस्फोटक सामग्री बंद अनुमोदित पात्र या पैकेज में रखे जाएंगे ।  
Explosive materials shall be kept in close approved containers or packages while being transported between the storage magazine and the blasting site.
12. विस्फोट करने का शाट फायरकर्ता प्रमाणपत्र और अनुज्ञापत्रधारक द्वारा प्राप्त की गई और फायर की गई या इससे निबटाई गई सभी विस्फोटक सामग्री का दैनिक अभिलेख रखेगा । ऐसा अभिलेख पांच वर्ष तक प्रतिधारित किया जाएगा ।  
A holder of a shot firer certificate and Permit to Blast shall keep a daily record of all explosive materials received and fired or otherwise disposed of by the permit holder. Such records shall be retained for five years.
13. शॉर्ट फायरकर्ता और कर्मचारी आपातकाल के दौरान बरती जानेवाली प्रक्रिया से अवगत होंगे ।  
The shot firer and the employee shall be conversant with procedure to be taken during the emergency.
14. शॉर्ट फायरकर्ता प्रमाण-पत्र का धारक जो सुरक्षा के हित में नियंत्रक द्वारा समय-समय पर दिए गए उन सभी या किन्हीं निदेशों का पालन करेगा ।

उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक  
Deputy Chief Controller  
एरनाकुलम Ernakulam